# MRCI an Isua The Gazette of India

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2008/चैत्र 5, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2008/CHAITRA 5, 1930

No. 141]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग) भारतीय रिज़र्व वैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

सं. फेमा/173/2007-आरबी

मुम्बई, 19 दिसम्बर, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निगम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 209( अ ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
  - (ii) ये सितम्बर, 2007 के 26वें दिन से लागू समझे जाएंगे।
- 2. विनियम 6आ में संशोधन,—विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) (अब से आगे 'मूल विनियम' के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 6 में,
  - (i) ठप-विनियम (2) में, खण्ड (i) के लिए निम्नलिखित

को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

- "(i) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय वचनबद्धता ऑतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख की स्थिति में भारतीय पार्टी के निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"
- (ii) उप-विनियम (2) में, खण्ड (i) में, स्पष्टीकरण में, ''निवल मालियत के 200% अथवा 300%, जैसा मामला हो, की सीमा के अंदर 'कुल वित्तीय वचनबद्धता' को निश्चित करने के प्रयोजन के लिए'' शब्दों और आंकड़ों के लिए निम्नलिखित का प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
  - ''निवल मालियत के 400% की सीमा के अंदर 'कुल वित्तीय वचनबद्धता' को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए !''
- (iii) उप-विनियम (3) में खण्ड (ii) में , ''कार्पोरेट्स के मामले में निवल मालियत के 300% से अधिक नहीं होगा और पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा'' शब्दों और आंकड़ों के लिए ''निवल मालियत के 400% से अधिक नहीं होगा'' शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
- (iv) उप-विनियम (3) में खण्ड (ii) में, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में "कार्पोरेट्स के मामले में निवल मालियत के 300% से अधिक नहीं होगा और पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और आंकड़ों के लिए "निवल मालियत के 400%" शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. विनियम 6आ का संशोधन.—मूल विनियमावली में विनियम 6आ में.
- (i) खण्ड (क) में, ''और निवेश के वर्ष के 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार किसी सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी में कम से कम

10% की शेयरधारिता उसके नाम में है'' शब्दों और आकर्ड़ों को हटा दिया जाएगा।

(ii) खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (i) में ''निवल मालियत के 35%'' शब्दों और आंकड़ों के लिए ''निवल मालियत के 50%'' शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 1/23/ई एम/2000—खण्ड—IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

#### पाद टिप्पणी :

- (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर, 2004 को सं. सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए: 7 अप्रैल, 2005 की सं. सा.का.नि. 220(अ), 27 मई, 2005 की सं. सा.का.नि. 337(अ), 31 अगस्त, 2005 की सं. सा.का.नि. 552(अ), सितम्बर 6, 2006 की सं. सा.का.नि. 535(अ), 5 जनवरी, 2008 की सं. सा.का.नि. 13(अ)
- (ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी
   प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department) (Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th December, 2007

No. FEMA/173/2007-RB

## Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004) namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) These Regulations shall be deemed to have come into effect from the 26th Day of September, 2007.
- 2. Amendment of Regulation 6.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign

Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004) (hereinafter referred to as the 'principal regulations'), in Regulation 6,

- (i) in sub-regulation (2), for clause (i), the following shall be substituted:—
  - "(i) The total financial commitment of the Indian Party in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries shall not exceed 400% of the net worth of the Indian Party as on the date of the last audited balance sheet".
- (ii) In sub-regulation (2), in clause (i), in the Explanation, for the words and figures "For the purpose of determining 'total financial commitment' within the limit of 200% or 300% of the net worth, as the case may be" the following shall be substituted:—
  - "For the purpose of determining 'total financial commitment' within the limit of 400% of the net worth".
- (iii) in sub-regulation (3) in clause (ii), for the words "shall not exceed 300% of the net worth in case of corporates and shall not exceed 200% of net worth in case of registered partnership firms", the words and figures "shall not exceed 400% of the net worth", shall be substituted.
- (iv) in sub-regulation (3), in clause (ii), in the explanation, for the words and figures "shall not exceed 300% of the net worth in case of corporates and shall not exceed 200% of net worth in case of registered partnership firms", the words and figures "400% of the net worth", shall be substituted.
- 3. Amendment of Regulation 6B.—In the principal Regulations, in Regulation 6B,
- (i) in clause (a), the words and figures "and has in its name share holding of not less than 10% in any listed Indian company as on 1st January of the year of investment" shall be omitted.
- (ii) in clause (b), in sub clause (i), for the words and figures "35% of the net worth", the words and figures "50% of the net worth", shall be substituted.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

### SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

#### Foot Note:

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 757(E) dated November 19, 2004 and subsequently amended vide:
  - G.S.R. 220(E) dated 7th April, 2005,
  - G.S.R. 337(E) dated 27th May, 2005,
  - G.S.R. 552(E) dated 31st August, 2005,
  - G.S.R. 535(E) dated 6th September, 2006,
  - G.S.R. 13(E) dated 5th January, 2008.
- (ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.